न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2013/00299 (8/2013) 23 ईगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975

राजाराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी बड़ोपल, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.05.2008 द्वारा आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा प्रकरण संख्या 200/2008 बअनवानी राजाराम बनाम सरकार

श्री रामस्वरूप तावणीया अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–03.01.2020

1. अपीलाण्ट ने आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के अन्तर्गत) बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 993, 987 में 24.13 बीघा भूमि को अस्थाई आवंटन से पुख्ता आवंटन करवाने हेतु आवेदन किया। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार पीलीबंगा के प्रतिवेदन, श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा गठित कमेटी की राय के आधार पर प्रार्थना–पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2008 के द्वारा खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को 1985 में टी.सी. पर आवंटित हुई थी तथा 1986, 1987, 1988, 1989 तक लगातार नवीनी करण होता रहा और संवत 2045–48 में यह अंकित है कि आरजी काश्तकार एक साला आवंटन है। गिरदावरी में टी.सी. दर्ज है अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रार्थी से कोई दस्तावेज तलब नही किये एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

स्वयं ही पत्रावली तैयार करके और अब अपना निर्णय पटवारी की रिपोर्ट पर सुना दिया जिसमें यह अकित था कि उक्त रकबा जमाबंदी, टीसी एवं कब्जा नहीं है, जबकि पटवारी हल्का ने कोई जांच नही की इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का रकबा खारिजी के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाण्ट के दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन नहीं किया ।

4. अपीलाण्ट की उक्त टी.सी. भूमि धारक को पुख्ता आवंटन करने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा द्वारा दिनांक 02.05.2008 को मात्र प्रार्थी द्वारा चाहा गया रकबा वर्तमान रिकार्ड में टीसी दर्ज नहीं है व ना ही वर्तमान में प्रार्थी से मालकाना लिया जा रहा है, बरूए रिकार्ड प्रार्थी का भूमि पर कब्जा नहीं है, प्रार्थी का जवाब वर्तमान राजस्व रिकार्ड के आधार से संतोषप्रद नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रस्तुत टीसी से पुख्ता आवंटन खारिज किया जाता है। दिनांक 02.05.2008 को अपीलाण्ट की कृषि भूमि को खारिज करने के आदेश प्रदान कर दिये एव इसकी पालना में रिपोर्ट मंगवाये जाने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायलाय का यह आदेश विधि विरूद्ध है। आवंटन नियम 1975 के नियम 5–11 की पालना किये गये बिना निर्णय पारित किया गया है। आवंटन नियम 1975 के नियम 5–7 में अस्थाई कृषक भूमि को पुख्ता आवंटन करवाने का प्रथम हकदार है तथा अपीलाण्ट इस भूमि का रकम व मालकाना लगातार अदा करता आ रहा है। राजस्व अभिलेख, जमाबन्दी गिरदावरी में यह भूमि अपीलाण्ट के नाम है। पुख्ता आवंटन पत्रावली तैयार करने से पूर्व सभी टीसी धारकों की सूची तैयार कर उनको 30 दिन का नोटिस देना आवश्यक था तथा पुख्ता आवंटन का आदेश पत्र व शपथ पत्र भी लिया जाकर पत्रावली में आगामी कार्यवाही करनी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायलाय ने बिना सबूत व साक्ष्य लिये अपने स्तर पर पत्रावली तैयार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। पुख्ता आवंटन नियमों में राजस्व अभिलेख में नाम हटाने का प्रावधान नही है। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थी का लगातार 1985 से जब से टीसी पर रकबा आवंटित है तब से कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः धारा–5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (8) 2001 पेज 126, आरबीजे

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

(6) 1999 पेज 412, आरआरडी 1995 पेज 68, आरआरडी 1999 पेज 128, आरआरडी 1982 पेज 339 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट ने आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के अन्तर्गत) बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 993, 987 में 24.13 बीघा भूमि को अस्थाई आवंटन से पुख्ता आवंटन करवाने हेतु आवेदन किया, जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार पीलीबंगा से जांच करवाई गई तो जांच में प्रश्नगत रकबा रिकार्ड में बतौर टीसी दर्ज नहीं है वा मालकाना भी जमा नहीं करवाया जा रहा है कब्जा काश्त मुताबिक रिकार्ड नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में प्रार्थी का नाम दर्ज नही पाया गया है। प्रकरण को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975) की धारा 11 के नियम 3 के अन्तर्गत जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के आदेशानुसार कमेटी के समक्ष प्रकरण रखा गया। कमेटी के सदस्यों की राय एवं तहसीलदार की रिपोर्ट व रिकार्ड की जांच के आधार पर अपीलाण्ट को विधिमान्य रूप से टीसी होल्डर अस्थाई पट्टा धारक नहीं माना है। अपीलाण्ट द्वारा मालकाना नहीं भरा जा रहा है। मांग कायमी का भी अंकन नहीं है तथा रिकार्ड के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त भी नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायलाय ने पूर्ण पात्रता नहीं रखने के कारण आवेदन को निरस्त योग्य माना है। अपीलाण्ट ने अपील में तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा जारी धारा 22 निनिवेशन अधिनियम 1954 प्रस्तुत किये हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यदि भूमि टी.सी पर आवंटित थी तो धारा 22 के

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

नोटिस क्यों जारी हुए इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रकबा राज है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को टी.सी. पर आवंटित नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.05.2008 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.02 12:38:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: